न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीजन),पीलीभीत

समक्षः नेहा गंगवार (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

CNR No. UPPB 05-000-711-2022

उत्तराधिकार वाद सं0–258/2022

1–श्रीमती नीलम आयु करीब 32 वर्ष पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र कुमार
2– अंकित कुमार आयु करीब 11 वर्ष पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र कुमार
3– कु0 नीतू आयु करीब 09 वर्ष पुत्री स्व0 धर्मेन्द्र कुमार
4– अर्पित आयु करीब 05 वर्ष पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र कुमार
5– अखिल आयु करीब 03 वर्ष पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र कुमार

वादी सं0–02 लगायत 05 द्वारा संरक्षिका सगी माता श्रीमती नीलम पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र कुमार

समस्त निवासीगण ग्राम भिलैइया गांव खेड़ा तहसील व जिला पीलीभीत।

....प्रार्थिनी/याची

बनाम

1– श्रीमती रामकली आयु करीब 56 वर्ष पत्नी श्री रामचरन निवासी ग्राम भिलैइया गांव खेड़ा तहसील व जिला पीलीभीत।

... विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत याचिका प्रार्थिनी/याचिनी श्रीमती नीलम द्वारा स्वयं की ओर से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–372 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु योजित की गयी है।

संक्षेप में प्रार्थिनी/याचिनी का याचिका में कथन है कि–याचिनी नीलम पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र, निवासी ग्राम भिलैइया गांव खेड़ा तहसील व जिला पीलीभीत की पत्नी है, वादीगण सं0–2, 4, 5 द्वारा संरक्षिका सगी माता श्रीमती नीलम मृतक धमेन्द्र के पुत्र हैं एवं वादिनी सं. 3 कु0 नीतू द्वारा संरक्षिका सगी माता श्रीमती नीलम उपरोक्त मृतक की अविवाहित पुत्री है। विपक्षिनि सं0–01 श्रीमती रामकली स्व0 धर्मेन्द्र की माता है एवं मृतक स्व0 धर्मेन्द्र की मृत्यु दिनांक 13.05.2022 को हो गयी। प्रार्थिनी/याचिनी एवं विपक्षिनि मृतक उपरोक्त के विधिक उत्तराधिकारी हैं। मृतक स्व0 धर्मेन्द्र के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड, जिला पीलीभीत में बचत खाता सं. 27020100011651 में रूपये–2,00,000/– की धनराशि जमा है। उक्त धनराशि मय ब्याज का भुगतान प्राप्त करने हेतु

प्रार्थिनी/याचिनी ने उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

सर्वसाधारण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया तथा मुनादी करायी गयी किन्तु जन सामान्य की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) द्वारा आपत्ति कागज सं0–14ग दाखिल की गयी है, जिसमें यह आपत्ति प्रकट की गयी है कि वाद योजित करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कथित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड को पक्ष मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः उत्तराधिकार वाद सव्यय निरस्त होने योग्य है।

विपक्षिनि को नोटिस जारी किये गये। बाद तामीला विपक्षिनि उपस्थित आयी एवं उसकी ओर से अपना जवाब/आपत्ति कागज सं. 14ग/2 मय शपथ–पत्र कागज सं0–14ग/3 ता 14ग/7 दाखिल की गयी, जिनमें विपक्षिनि द्वारा याची के प्रार्थना–पत्र/याचिका में वर्णित कथनों का समर्थन करते हुए, प्रार्थिनी/याचिनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी होने में कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है।

प्रार्थीगण/याचीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त कागज सं0–8ग/1 से आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं0–8ग/2 ता 8ग/3, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति कागज सं0–8ग/4 एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की छायाप्रति कागज सं0–8ग/5 ता 8ग/6 को दाखिल किया गया है एवं आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियां न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी हैं।

मेरे द्वारा उभय पक्ष एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रार्थिनी/याचिनी का प्रार्थना–पत्र/याचिका में कथन है कि याचिनी नीलम पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र, निवासी ग्राम भिलैइया गांव खेड़ा तहसील व जिला पीलीभीत की पत्नी है, वादीगण सं0–2, 4, 5 द्वारा संरक्षिका सगी माता श्रीमती नीलम मृतक धमेन्द्र के पुत्र हैं एवं वादिनी सं. 3 कु0 नीतू द्वारा संरक्षिका सगी माता श्रीमती नीलम उपरोक्त मृतक की अविवाहित पुत्री है एवं विपक्षिनि सं0–01 श्रीमती रामकली स्व0 धर्मेन्द्र की माता है, मृतक स्व0 श्री धर्मेन्द्र की मृत्यु दिनांक 13.05.2022 को हो गयी। प्रार्थिनी/याचिनी एवं विपक्षीगण मृतक उपरोक्त के विधिक उत्तराधिकारी हैं। मृतक स्व0 श्री धमेन्द्र के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड, जिला पीलीभीत में बचत खाता सं. 27020100011651 में रूपये–2,00,000/–

की धनराशि जमा है। प्रार्थिनी की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में प्रस्तुत मृतक स्व0 श्री धमेन्द्र के मृत्यु प्रमाण–पत्र कागज सं. 8ग/4 में मृतक उपरोक्त की मृत्यु दिनांक 13.05.2022 को होने का उल्लेख है एवं छायाप्रति उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कागज सं0–13ग/3 में भी मृतक स्व0 श्री धर्मेन्द्र की मृत्यु दिनांक 13.05.2022 को होने एवं मृतक उपरोक्त के वारिसानों के रूप में वादीगण सं0–01 1 लगायत 5 एंव विपक्षिनि का नाम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थिनी/याचिनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्य से याचिका के कथनों का समर्थन होता है। मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र व प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड, जिला पीलीभीत द्वारा निर्गत स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट की प्रति कागज संख्या 18ग भी पत्रावली पर उपलब्ध है।

उ0प्र0 राज्य द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि राज्य को धारा 80 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि उत्तराधिकार वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। अतः उ0प्र0 राज्य की उक्त आपत्ति बलहीन है। राज्य द्वारा यह भी आपत्ति की गयी है कि प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वसीयत न किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु प्रार्थिनी द्वारा मात्र वसीयत का उल्लेख न किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यदि मृतक द्वारा वसीयत की गयी होती, तो प्रार्थिनी द्वारा इसका उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में अवश्य ही किया गया होता।

राज्य द्वारा यह भी आपत्ति की गयी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड पीलीभीत को पक्ष मुकदमा नहीं बनाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड पीलीभीत की आख्या कागज सं0–18ग पत्रावली में संलग्न है, इस प्रकार बैंक द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तराधिकार वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा की गयी अन्य आपत्तियों भी मात्र तात्विक प्रकृति की हैं। अतः प्रार्थीगण के नाम उपरोक्त धनराशि का उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर उपरोक्तानुसार प्रार्थना–पत्र/याचिका 4ख. स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की याचिका कागज सं0 4ख. स्वीकार की जाती है। मृतक स्व0 श्री धर्मेन्द्र के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड, जिला पीलीभीत के बचत खाता सं0–27020100011651 में जमा धनराशि 2,00,000/–रू0 (दो

लाख रू0) मय ब्याज को प्राप्त करने के संदर्भ में, प्रार्थिनी श्रीमती नीलम एवं प्रार्थी अंकित, नीतू, अर्पित व अखिल जरिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती नीलम द्वारा मुंसरिम आख्या के अनुसार निर्धारित न्यायशुल्क अदा करने पर, प्रार्थीगण के पक्ष में उक्त धनराशि का उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाये।

उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र इस शर्त पर निर्गत किया जाये कि प्रार्थिनी नीलम इस आशय की अन्डर टेकिंग दाखिल करेगी कि भविष्य में प्रश्नगत सम्पत्ति/धनराशि के विषय में यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा किया जाता है अथवा अधिकार पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी तद्नुसार उक्त दावा अथवा अधिकार की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरायी होगी। साथ ही प्रार्थिनी उक्त वर्णित धनराशि की एक प्रतिभू भी न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थिनी श्रीमती नीलम न्याय शुल्क अन्दर एक माह अदा करे।

दिनांकः 22.05.2023

(नेहा गंगवार)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
पीलीभीत।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2038

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 22.05.2023

(नेहा गंगवार)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पीलीभीत।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2038

Digitally signed by NEHA GANGWAR
Date: 2023.05.22 16:20:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court